जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर

रजि0 ऑफिस द्वितीय तल, पुराना महिला हॉस्टल, नेहरू पैलेस के पीछे, लाल कोठी,

जयपुर–302015 फोन नं. 0141–2744562, 2744776

कमांकः प्र.नि./जे.सी.टी.एस.एल./2012/डी– 2632 दिनांकः– 18/12/12

विज्ञापन

जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में जेसीटीएसएल कर्मचारी सेवा विनियम 2012 नियमों के तहत भर्ती में वर्णित पात्रता के प्रावधानों के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 के लिए निम्न 1520 पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 30.01.2013 तक इच्छुक पात्रता/योग्यताधारी अभ्यार्थियों से "निर्धारित प्रपत्र" में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैः–

क्र.सं.	नाम पद	कुल पदों की संख्या	अजा			अजजा			अन्य पिछड़ा वर्ग			विशेष पिछड़ा वर्ग			सामान्य			भू. पू. सैनिक
			पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	
1	चालक (बस कैप्टेन)	760	85	36	121	64	27	91	111	48	159	5	2	7	204	87	291	91
2	परिचालक (बस को–कैप्टेन)	760	85	36	121	64	27	91	111	48	159	5	2	7	204	87	291	91

नोटः आरक्षण की स्थिति राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्ययधीन परिवर्तनीय होगी।

पात्रताः–

क.सं.	नाम पद	पात्रता
1.	चालक (बस कैप्टेन)	1. मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। 2. भारी वाहन चलाने का लाइसेंस व बैज। 3. भारी वाहन चलाने का 3 वर्ष का अनुभव।
2.	परिचालक (बस को–कैप्टेन)	1. मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। 2. परिचालक का लाइसेंस एवं बैज आवश्यक होगा।

नोटः–

1. आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक 30.01.2013 को उक्त पात्रता अनुसार चालक पद के लिये तीन वर्ष का भारी वाहन चलाने का लाइसेंस तथा परिचालक पद के लिये परिचालक लाइसेंस एवं बैज आवश्यक रूप से होना चाहिए। उक्त वर्णित पात्रता के अभाव में आवेदन पत्र अस्वीकार करते हुए निरस्त कर दिया जावेगा तथा ऐसे अभ्यार्थियों को आवेदन शुल्क भी नहीं लौटाया जावेगा।
2. समस्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/मण्डल जो केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विधि सम्मत नियमानुसार स्थापित किये गये है एवं जिनसे उत्तीर्ण की गई परीक्षायें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा वर्ष 2012 की अनुदेशिका के अनुसार अपनी परीक्षाओं के समकक्ष मान्य मानी गई है, उनको ही उक्त पदों की शैक्षणिक योग्यता की पात्रता के लिये मान्य माना जावेगा। अन्य बोर्ड/शिक्षण संस्थाओं से उत्तीर्ण सैकण्डरी परीक्षा को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जावेगा।

2. वेतनमानः—

क.सं.	नाम पद	मासिक फिक्स पारिश्रमिक	पे बेन्ड	वेतनमान	ग्रेड पे
1.	चालक (बस कैप्टेन)	रु. 6100	PB-1	रु. 5,200—20,200	रु. 1900
2.	परिचालक (बस को—कैप्टेन)	रु. 6100	PB-1	रु. 5,200—20,200	रु. 1900

उक्त पदों पर चयन होने पर उपरोक्तानुसार प्रथम दो वर्ष तक फिक्स पारिश्रमिक पर दो वर्ष के परीवीक्षाकाल प्रशिक्षण पर रखा जावेगा तथा दो वर्ष का परीवीक्षाकाल प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर उपरोक्तानुसार नियमित वेतनमान एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होगें। प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण नहीं करने पर परीक्षाकाल बढाया जा सकता है।

1. आयुः—

I. उक्त पदों के लिये दिनांक 01.01.2013 को न्यूनतम आयु 18 तथा अधिकतम 35 वर्ष (अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरूष अभ्यार्थियों को तथा सामान्य वर्ग की महिला अभ्यार्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट) अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यार्थियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जावेगी एवं भारतीय सेनाओं के आरक्षित (रिर्जविष्ट) जवानों की नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

II. जिस आरक्षित वर्ग में महिलाओं के पद आरक्षित नहीं होगे उन्हें आयु सीमा की छूट उसी वर्ग के पुरूष को देय छूट के अनुसार ही देय होगी।

III. विधवाओं और विछिन्न विवाह महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

IV. उपरोक्त पैरा के प्रावधान संख्या 1 से 3 पर वर्णित आयु सीमा मे छूट के प्रावधान ''Non Cumulative'' है अर्थात् अभ्यार्थियों को उपरोक्त पैरा 1 से 3 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाएगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़कर छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा।

V. ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ पदों के वर्गीकरण (Category Wise) के अनुसार ही देय होगा अर्थात् अगर किसी वर्ग Category के लिए कोई पद आरक्षित नहीं होगा तो उस वर्ग के अभ्यार्थी को ऊपरी आयु सीमा में तत्सम्बन्धी छूट का लाभ देय नहीं होगा।

2. आरक्षण

I. अनुसूचित जाति/जन. जाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों को राज्य सरकार की नीति के अनुरूप कमशः 16%, 12%, 21%, एवं 1%, आरक्षण का लाभ देय होगा। इस हेतु तहसीलदार/उप—खण्ड अधिकारी/जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

ii. स्पष्टीकरणः—

A- किसी वर्ग (lkekUय वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी नॉन क्रीमीलेयर का नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तो ही आरक्षण का लाभ देय होगा अन्यथा नहीं।पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

B- महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाये गये पदों में से नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विच्छिन्न विवाह महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित है। किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त विधवा/ परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग की अन्य महिला अभ्यार्थियों से भरा जायेगा।

C- विधवा महिला के मामले में उस सक्षम अधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विछिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विवाह विछिन्न का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

iii. उक्त पदों की कार्य प्रृति को देखते हुए इन पदों पर निःशक्तजनों का आरक्षण देय नहीं होगा।

iv. भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों के विरूद्ध आवेदन करने वाले आवेदकों को आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक तक सेना से सेवानिवृत हो जाना आवश्यक है अन्यथा उसे आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भू. पू. सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।

v. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इनके आरक्षित पदों को सामान्य /पिछड़ा वर्ग एवं विशेष वर्ग के अभ्यार्थियों से नहीं भरा जायेगा। किन्तु अन्य पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस वर्ग के आरक्षित पदों को सामान्य वर्ग से भरा जा सकेगा।

3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

4. ऐसा कोई भी अभ्यार्थी जिसके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चे वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये तब तक निरर्हित नहीं समझा जावेगा, जब तक की 1 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होगी।

परन्तु यह और कि जहॉ किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है, किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा हो जाते है, वहॉ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुये बच्चों को एक ईकाई समझा जावेगा।

5. चालक (बस कैप्टेन) के पद हेतु अभ्यार्थी को ट्रेड टेस्ट आदि में बुलाये जाने पर किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

6. चालक (बस कैप्टेन) एवं परिचालक (बस को– कैप्टेन) के पदों पर भर्ती के लिये सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों के लिए आवेदन शुल्क 600/– रूपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के लिए 150/– रूपये होगा।

7. आवेदन पत्र का प्रारूप जेसीटीएसएल की वेबसाईट www.jaipurbus. com पर उपलब्ध है। जेसीटीएसएल की वेबसाईट से प्राप्त आवेदन पत्र मय सम्बन्धित दस्तावेजों के सहित वेबसाईट पर उपलब्ध सांगानेर आगार एवं विधाधरनगर आगार के मुख्य प्रबन्धकों के कार्यलयों में निर्धारित आवेदन शुल्क नकद जमा कराकर दिनांक 16.01.2013 को सांय 6:00 बजे तक आवेदन पत्र जमा किये जायेंगे। अनुसूचित जाति एवं अनु. जनताति के अभ्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने पर ही आवेदन शुल्क में छूट देय होगी।

8. निर्धारित आवेदन शुल्क जमा कराये बिना कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा। ऐसे आवेदन पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी।

9. जेसीटीएसएल की वेबसाईट www.jaipurbus. com से प्राप्त आवेदन पत्र प्रारूप के अलावा अन्य किसी तरह का आवेदन पत्र जमा एवं स्वीकार नहीं किया जावेगा।

10. भर्ती हेतु इन विज्ञापित पदों में कमी अथवा बढ़ोतरी की जा सकती है।

11. जेसीटीएसएल द्वारा किसी भी व्यक्ति/एजेन्ट/संस्था/कम्पनी को भर्ती के पदों हेतु आवेदन पत्र का वितरण या उन्हें जमा कराने हेतु अधिकृत नही किया गया है। अतः जेसीटीएसएल के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति/एजेन्ट/संस्था/कम्पनी द्वारा आवेदन पत्र जमा कराने के सम्बंध में की गई कार्यवाही के लिए जेसीटीएसएल किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं होगा।

12. विज्ञापन में वर्णित पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन प्रस्तुत करें। पात्रता के अभाव में/पात्रता अपूर्ण पाये जाने पर आवेदन पत्र खारिज कर दिया जावेगा तथा ऐसे अपात्र अभ्यार्थियों को आवेदन शुल्क नहीं लौटाया जावेगा। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु पत्र व्यावहार स्वीकार नहीं किया जावेगा।

13. ट्रेड टेस्ट हेतु अभ्यार्थी की उम्मीदवारी अस्थाई होगी, जो नियुक्ति से पूर्व किसी भी चरण में मूल दस्तावेजो से मिलान करने एवं विज्ञापन में विनिर्दिष्ट आयु तथा निर्धारित शैक्षाणिक योग्यता एवं शर्ते पूर्ण करने के अध्ययधीन रहेगी। पात्रता पूर्ण नहीं करने पर अभ्यार्थी की उम्मीदवारी निरस्त योग्य होगी।

14. चालक के ट्रेड टेस्ट का टाईम टेबल जेसीटीएसएल की वेबसाईट www.jaipurbus. com पर उपलब्ध रहेगा। अभ्यार्थी को ट्रेड टेस्ट हेतु पृथक से सूचना भी भेजी जायेगी। अभ्यार्थी जेसीटीएसएल की वेबसाईट www.jaipurbus. com पर उपलब्ध चालक के ट्रेड टेस्ट शिड्यूल में निर्धारित दिनांक एवं समय पर ट्रेड टेस्ट हेतु निर्धारित स्थल पर उपस्थित होगें। चालक पद के लिये ट्रेड टेस्ट के समय मूल वैध चालक लाइसेंस, बैज, मूल निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता से सम्बंधित दस्तावेज होना अनिवार्य होगा। मूल दस्तावेज एवं स्वंय के पहचान के दस्तावेज के अभाव में या ट्रेड टेस्ट दिनांक को वैध (नवीनीकृत) चालक लाइसेंस नहीं होने की स्थिति में ट्रेड टेस्ट में सम्मलित नहीं किया जावेगा एवं किसी भी स्थिति में पुनः ट्रेड टेस्ट का अवसर भी नहीं दिया जावेगा। ट्रेड टेस्ट हेतु सूचना समय पर नहीं मिलने की स्थिति में निर्धारित दिनांक के पश्चात् ट्रेड टेस्ट हेतु पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा।

15. चालक पद हेतु ट्रेड टेस्ट के लिए 40 अंक रोड टेस्ट के, 40 सेम्युलेटर टेस्ट के एवं 20 अकं लिखित परीक्षा के होंगे। सफल होने के लिए 60 अकं अनिवार्य होंगे। ट्रेड टेस्ट के अंक निर्धारित मैरिट में शामिल करते हुए अन्तिम मैरिट सूचि तैयार की जावेगी। चालक पद के ट्रेड टेस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तैयार मैरिट सूची में से पदों की संख्या के 3 गुना अभ्याथियों का बुलाया जावेगा।

16. परिचालक पद हेतु सैकण्डरी परीक्षा में अर्जित प्राप्तांक की प्रतिशतता के आधार पर मेरिट सुची तैयार की जायेगी। मेरिट सुची तैयार करते समय समान प्रतिशतता अंक अर्जित करने वाले अभ्याथ्यिों के लिए मेरिट उनकी जन्म दिनांक के आधार पर निर्धारित की जाएगी जो अधिकतम आयु वाले अभ्यार्थी से प्रारम्भ होगी। इसी मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जायेगी।

17. इन सभी पदों की भर्ती के लिए किसी तरह का साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

18. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित मोबाईल नम्बर/एसएमएस से भर्ती सम्बन्धी जानकारी दी जा सकती है, जो मान्य होगी।

19. भर्ती के सम्बन्ध में किसी तरह का अन्य पत्राचार/सिफारिश स्वीकार नहीं होगी, सिफारिश पत्र प्राप्त होने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा। अभ्यार्थियों का चयन जेसीटीएसएल द्वारा निर्धारित मेरिट फार्मूले के आधार पर किया जायेगा।

20. चयनित अभ्यर्थियों की सेवायें जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड वर्क्स एवं वर्कशॉप कर्मचारी स्थाई आदेश–2012 के तहत शासित होगी। चयनित अभ्यार्थियों का पदस्थापन जेसीटीएसएल के किसी भी कार्यालय/कार्यशाला में आवश्यतानुसार किया जा सकेगा।

21. उक्त विज्ञापन को निरस्त करने का अधिकार जेसीटीएसएल के पास सुरक्षित होगा।

प्रबन्ध निदेशक,
जे.सी.टी.एस.एल,
जयपुर।